राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर
(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)
(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांकः– F1(23)Estt./Faculty/Recruitment/RajMES/2018/ दिनांक :

कार्यालय आदेश

राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसाइटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉएमेन्ट रूल्स, 2017 के नियम 19 के अन्तर्गत गठित रिक्रूटमेन्ट बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक F1(23)Estt./Faculty/Recruitment/RajMES/2018/712 दिनांक 06.06.2018 के अनुसरण में नियम 20 के अनुसार प्रस्तुत की गई सूची में से नियम 22 के अन्तर्गत चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के समक्ष अंकित रिक्त पद पर समेकित वेतन पर नीचे अंकित शर्तो पर एतद् द्वारा नियुक्ति प्रदान करते हुए पदस्थापित किया जाता है :–

S. No.	Department	Post	Form No.	Name of Candidate	Date of Birth	Category	Place of Posting
1.	Microbiology	Senior Demonstrator	201806420878	SMRITI SRIVASTAVA	22-Apr-1984	GENERAL	Bhilwara
2.	Microbiology	Senior Demonstrator	201806100263	SADHANA JOSHI	19-Oct-1987	GENERAL	Bhilwara
3.	Microbiology	Senior Demonstrator	201806383645	BHANU PRAKASH GUPTA	11-Jul-1985	GENERAL	Bharatpur
4.	Microbiology	Senior Demonstrator	201806382354	PARWEZ	01-Nov-1982	GENERAL	Churu
5.	Microbiology	Senior Demonstrator	201806387221	KHUSHBOO SHARMA	19-Sep-1985	GENERAL	Bharatpur
6.	Microbiology	Senior Demonstrator	201806387966	Virendra Singh Rathore	21-Jul-1994	GENERAL	Dungarpur
7.	Microbiology	Senior Demonstrator	201806264411	Manish Pokra	29-Sep-1987	OBC-NON CREAMY	Bhilwara
8.	Microbiology	Senior Demonstrator	201806315729	Mahesh Kumar	30-Jun-1990	OBC-NON CREAMY	Churu
9.	Microbiology	Senior Demonstrator	201806027947	CHANDRA PRAKASH SONI	23-Jul-1992	OBC-NON CREAMY	Pali
10.	Microbiology	Senior Demonstrator	201806477729	MAINA RAIGAR	20-Jan-1988	S.C	Bharatpur
11.	Microbiology	Senior Demonstrator	201806355210	DINESH KUMAR MEENA	13-Jul-1993	S.T	Dungarpur

नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होगी :–

1. उक्त नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14902/2018, 12832/2018 एवं 12905/2018 के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन (subject to) रहेगा।
2. उपरोक्त चयनित अभ्यार्थीयों पर राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसाइटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉएमेन्ट रूल्स, 2017 (as and when ammended) लागू होंगे।

कृ.प.उ.

3. उपरोक्त नियुक्ति एमबीबीएस डिग्रीधारी वरिष्ठ प्रदर्शक के पद पर एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर होगी एवं अन्य अभ्यर्थी के लिए दो वर्ष का परिवीक्षा काल रहेगा।
4. परिवीक्षा काल में किसी प्रकार की वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
5. परिवीक्षा काल के दौरान अभ्यर्थी की सेवाऐं असंतोषजनक पाए जाने पर बिना कोई नोटिस दिए सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी।
6. उपरोक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने पर 10 दिवस में अपनी उपस्थिति संबंधित प्रधानाचार्य के यहां प्रस्तुत करनी होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया का आगामी दिवसो में निरीक्षण संभावित है। अतः कार्यग्रहण काल में किसी भी प्रकार की वृद्धि नही की जाएगी। 10 दिवस में कार्यग्रहण नही करने पर यह नियुक्ति स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी।
7. उपरोक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से एक माह के अन्दर अपने पूर्वाचरण के सम्बन्ध में अपने अंतिम शैक्षणिक विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र एवं साथ ही दो प्रतिष्ठित नागरिकों से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे, साथ ही पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही अभ्यर्थी का मेडिकल परीक्षण संबंधित मेडिकल कॉलेज जहां कि उसका पदस्थापन किया गया है, के द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से करा कर एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।
8. अभ्यर्थी के द्वारा यदि एक माह में उपरोक्तानुसार चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते है अथवा मेडिकल परीक्षण नहीं कराया जाता है अथवा उसका चरित्र अथवा मेडिकल परीक्षण नियोजन के उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवाऐं बिना कोई नोटिस दिए समाप्त किए जाने के योग्य होंगी।
9. अभ्यर्थी कार्यग्रहण के समय इस आशय का घोषणा–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी भी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के द्वारा सोसायटी में नियोजन प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया गया है।
10. वेतन, अवकाश, सामान्य बीमा, पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं अन्य सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सोसायटी के नियम लागू होंगे।
11. अभ्यर्थी के सभी शैक्षणिक/कार्यानुभव/एकेडमिक/पब्लिकेशन/जन्मतिथि/आरक्षण जाति आदि के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन मूल प्रमाण–पत्रों से संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य के द्वारा ड्यूटी ज्वाईन करते समय किया जावेगा।
12. कार्यग्रहण स्थल पर जाने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

sd/
निदेशक
राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी
जयपुर

क्रमांकः– F1(23)Estt./Faculty/Recruitment/RajMES/2018/ 1540 दिनांक : 19/07/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
3. उप निदेशक (प्रशासन), राजमेस, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज भरतपुर/भीलवाड़ा/पाली/डूंगरपुर/चूरू/बाड़मेर।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजमेस, जयपुर।
6. सम्बन्धित अभ्यर्थी .... को रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल से।
7. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

19/7
निदेशक
राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी
जयपुर